Member of Parliament Local Area Development Scheme

संशोधन परिपत्र सं.12

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 23364197
E-mail : mplads@nic.in

फा.सं.सी/42(5)/2011-एमपीलैड्स

Dated .... दिनांक: 23.11.2011

सेवा में,

आयुक्त,

कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली निगम

जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त ।

विषय: मौजूदा एमपीलैड्स दिशानिर्देशों में संशोधन-प्राकृतिक आपदाएं ।

महोदय/महोदया,

मंत्रालय अनुभव, विभिन्न सांसदों से प्राप्त अनुरोध और एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा तथा लोक सभा समितियों से प्राप्त सुझाव के आधार पर एमपीलैड योजना संबंधी दिशानिर्देशों में संशोधन कर रहा है । राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के उपाध्यक्ष से एक सुझाव प्राप्त हुआ था, जिसमें कहा गया था कि हालांकि एमपीलैड्स संबंधी दिशानिर्देशों के पैरा 2.7 में प्राकृतिक आपदाओं को कवर किया गया है, लेकिन इसमें मानव-जनित आपदाओं को शामिल नहीं किया गया है । एनडीएमए के उपाध्यक्ष द्वारा दिए गए सुझाव पर तदनुसार विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि प्राकृतिक आपदा से संबंधित पैरा 2.7, एमपीलैड्स के तहत निषिद्ध कार्यों से संबंधित अनुबंध-II मद-5, अन्य सार्वजनिक सुविधाओं से संबंधित अनुबंध- IVE, उप शीर्ष-VII को संशोधित किया जाए और अनुबंध-IVE, उप शीर्ष-VII में मद सं.15 और 16 जोड़ी जाए । मौजूदा प्रावधान तथा संशोधित प्रावधान नीचे दिए गए हैं:-

पैरा सं.	मौजूदा प्रावधान	संशोधित प्रावधान
2.7	प्राकृतिक आपदाएं: एमपीलैड्स कार्य बाढ़, चक्रवात, सुनामी, भूकंप, बवंडर और सूखा जैसी आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में भी कार्यान्वित किए जा सकते हैं । राज्य के अप्रभावित क्षेत्रों के लोक सभा सांसद	'प्राकृतिक तथा **मानव-जनित** आपदाएं: बाढ़, चक्रवात, सुनामी, भूकंप, **ओला-वृष्टि, बर्फीले तूफान, बादल फटना तथा महामारी (पेस्ट अटैक)**, भूस्खलन, बवंडर,

	भी उस राज्य के प्रभावित क्षेत्रों में प्रतिवर्ष अधिक-से-अधिक 10 लाख रुपए तक की लागत के अनुमत्य कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं । संबंधित सांसद के नोडल जिले द्वारा प्रभावित जिले के जिला प्राधिकारी को धनराशि जारी की जाएगी । प्रभावित जिले के जिला प्राधिकारी द्वारा दिशानिर्देशों में अनुमत्य कार्यों के लिए एमपीलैड्स निधियों को एक कोष में एकत्र किया जाएगा । प्रभावित जिले का जिला प्राधिकारी कार्य समापन रिपोर्ट, उपयोग संबंधी प्रमाणपत्र और इन कार्यों के लिए लेखा-परीक्षा प्रमाणपत्र उस संबंधित जिला प्राधिकारी को उपलब्ध कराएगा जहां से निधियां प्राप्त हुई हैं ।	सूखा, आग, रासायनिक, जैविक और **विकिरण संबंधी खतरों** की संभावना वाले अथवा प्रभावित क्षेत्रों में भी एमपीलैड्स कार्य कार्यान्वित किए जा सकते हैं । राज्य के अप्रभावित क्षेत्रों के लोक सभा सांसद भी उस राज्य के प्रभावित क्षेत्रों में प्रतिवर्ष अधिक-से-अधिक 10 लाख रुपए तक की लागत के अनुमत्य कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं । संबंधित सांसद के नोडल जिले द्वारा प्रभावित जिले के जिला प्राधिकारी को धनराशि जारी की जाएगी । प्रभावित जिले के जिला प्राधिकारी द्वारा दिशानिर्देशों में अनुमत्य कार्यों के लिए एमपीलैड्स निधियों को एक कोष में एकत्र किया जाएगा । प्रभावित जिले का जिला प्राधिकारी कार्य समापन रिपोर्ट, उपयोग संबंधी प्रमाणपत्र और इन कार्यों के लिए लेखा-परीक्षा प्रमाणपत्र उस संबंधित जिला प्राधिकारी को उपलब्ध कराएगा जहां से निधियां प्राप्त हुई हैं ।'
अनुबंध-II मद-5	जीर्णोद्धार तथा मरम्मत संबंधी सभी कार्य, इसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से विशेष अनुमति प्राप्त विरासतीय तथा पुरातात्विक स्मारक और भवन शामिल नहीं है ।	'जीर्णोद्धार तथा मरम्मत संबंधी सभी कार्य, इसमें **जीवन रक्षक भवन अर्थात सरकारी अस्पताल, आपातकाल में शरणस्थली के रूप में उपयोग किए जाने वाले सरकारी स्कूल तथा सार्वजनिक** भवन और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से विशेष अनुमति प्राप्त विरासतीय तथा पुरातात्विक स्मारक और भवन में मरम्मत आदि का कार्य शामिल नहीं है ।'
अनुबंध - IVE, उप शीर्ष-VII	वृद्ध एवं विकलांग व्यक्तियों के लिए साझा शरणस्थलों का निर्माण ।	' **चक्रवात, बाढ़ प्रभावित तथा** वृद्ध एवं विकलांग व्यक्तियों के लिए साझा शरणस्थलों का निर्माण '
अनुबंध -	मद के रूप में जोड़ा जाए	15. **महत्वपूर्ण जीवन-रक्षक भवनों अर्थात**

IVE, उप शीर्ष-VII		सरकारी अस्पताल, आपातकाल में शरणस्थली के रूप में उपयोग किए जाने वाले सरकारी स्कूल तथा सार्वजनिक भवनों में बाद में मरम्मत आदि का कार्य । 16. आपदा के कारगर उपशमन के लिए पूर्व चेतावनी प्रणालियां ।

2. इसे माननीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

भवदीय,

देवेन्द्र वर्मा

(देवेन्द्र वर्मा)

उप महानिदेशक (सांख्यिकी स्कंध)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. सभी माननीय सांसद (लोक सभा/राज्य सभा) ।
2. सचिव, एमपीलैड्स से संबंधित नोडल विभाग (सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र) ।
3. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. एमपीलैड्स प्रभाग के सभी संबंधित अधिकारी ।
6. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र-एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।

उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एनडीएमए भवन, ए-1, सफदरजंग एन्कलेव, नई दिल्ली-110032 को भी प्रति प्रेषित ।